// डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
प्रशासनिक खण्ड नागौर रोड़, कडवड़, जोधपुर (पिन नं. 342037)
Web side : www.raujodhpur.org, E-mail- rau_jodhpur@yahoo.co.in

क्रमांक :- रा.आ.वि./लेखा/ जोध/2022-23/11648 दिनांक :- 08.03.23

वित्त एवं लेखा समिति की दिनांक 03.03.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण :-

डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर की वित्त एवं लेखा उपवेशन दिनांक 03.03.2023 को माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षयता में 12.30 बजे विश्वविद्यालय परिसर, करवड, जोधपुर में आयोजित हुआ। इसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. प्रो. डॉ. प्रदीप कुमार प्रजापति, कुलपति
   डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर। — अध्यक्ष
2. श्री दिनेश कुमार बारहठ, कोषाधिकारी (शहर), जोधपुर
   प्रतिनिधि संभागीय आयुक्त, जोधपुर। — सदस्य
3. डॉ. मनोहर सिंह
   उपनिदेशक कार्यालय, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर। — सदस्य
4. प्रो. महेन्द्र कुमार शमा, प्राचार्य
   आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, करवड़, जोधपुर — सदस्य
5. श्री मंगला राम बिश्नोई, कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक
   डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर। — सदस्य सचिव

सर्वप्रथम वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव ने उपवेशन में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया। स्वागत पश्चात् उपनिवेशन के एजेण्डा पर बिन्दुवार चर्चा हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाही गई। अनुमति पश्चात बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

एजेण्डा संख्या	एजेण्डा बिन्दु	कार्यवाही विवरण
1.	गत बैठक दिनांक 31.01.2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	समिति के सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 03 माह में बैंक समाशोधन विवरण तैयार करने एवं विश्वविद्यालय के संघटक चिकित्सालय में कार्यरत पंचकर्म थैरेपिस्ट का क्वार्टर किराया राशि माफ करने हेतु प्रकरण में विश्वविद्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी, उप-कुलसचिव एवं डॉ. ब्रह्मानन्द शर्मा को सदस्य नियुक्त कर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया एवं समिति से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही कर आगामी वित्त एवं लेखा समिति में अनुमोदन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
2.	विश्वविद्यालय के सनदी लेखाकार द्वारा किये गये वित्त वर्ष 2021-22 का आन्तरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3.	वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 12(3)वित्त(नियम)/2022 दिनांक 19.05.2022 की अनुपालना एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 51 के क्रम में विश्वविद्यालय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सम्बंध में विचार विमर्श एवं निर्णय।	विश्वविद्यालय कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सम्बंध परिपत्र दिनांक 19.05.2022 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023-24 के बिन्दु संख्या 51 के क्रम में में सैद्धान्तिक सहमति दिये जाने का समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
4.	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विभाग से प्राप्त 'समन' नोटिस के अनुसार वर्ष 2017 से 2021-22 तक विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की सम्बद्धता फीस पर देय जी.एस.टी. राशि का भुगतान पर विचार-विमर्श एवं निर्णय।	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विभाग से प्राप्त 'समन' नोटिस के अनुसार विगत वर्षों की प्राप्त सम्बद्धता शुल्क पर बनने वाली जी.एस.टी. राशि विभाग को भुगतान किये जाने का निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
5.	विश्वविद्यालय के पेंशनर को पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान करने की प्रक्रिया (पत्रावली के अनुसार) का अनुमोदन।	एजेण्डा बिन्दु अनुसार सेवानिवृत एवं पारिवारिक पेंशन प्रकरणों में कुलसचिव कार्यालय द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर, पेंशन स्वीकृति हेतु पी.पी.ओ. वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा एवं पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान विश्वविद्यालय कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया
6.	विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन भुगतान हेतु नवीन पी.डी. पेंशन (ब्याज सहित) खाता खोलने एवं उसमें एकमुश्त राशि रूपये 30.00 करोड़ हस्तान्तरण किये जाने पर विचार-विमर्श।	बिन्दु के अनुसार प्रस्तावित नवीन पी.डी. पेंशन (ब्याज सहित) खाते में विश्वविद्यालय के पी.डी. खाता संख्या 6960 से राशि रूपये 30.00 करोड़ हस्तान्तरण किये जाने का अनुमोदन समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से किया।

7.	विश्वविद्यालय के बावण्ड्री वॉल निर्माण हेतु सम्पदा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	समिति के सदस्यों ने प्राप्त प्रस्ताव राशि रू 41.11 लाख का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। साथ ही 03 वॉच टावर बनाने का निर्णय लिया गया।
8.	विश्वविद्यालय के कुलपति आवास निमार्ण हेतु राशि रूपये 212.91 लाख के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। एवं उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के आवास बनाने हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
9.	विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित पुस्कालय भवन का विस्तार एवं नवीन निर्माण हेतु सम्पदा अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव राशि रूपये 1003.06 लाख पर विचार-विमर्श।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रथम चरण में वर्तमान भवन का प्रथम तल पर राशि रू 334.35 लाख से विस्तार करने का निर्णय लिया गया।
10.	प्राचार्य, आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के बिन्दुओं पर विचार-विमर्श।	
	(अ) विश्वविद्यालय स्तर पर विभिन्न संस्थानों के साथ किए जा रहे एम. ओ.यू. के अन्तर्गत संचालित रिसर्च प्रोजेक्ट एवं विभागीय स्तर पर प्रस्तूत रिसर्च प्रोजेक्ट की क्रियान्विति हेतु 10.00 लाख रूपये रिसर्च फण्ड की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	एजेण्डा बिन्दु के अनुसार प्रस्तूत रिसर्च फण्ड का गठन किये जाने व इस हेतु अलग से बैंक खाता खुलवाया जाकर राशि रूपये 5.00 लाख एवं तत्पश्चात आवश्यकतानुसार राशि रूपये 5.00 लाख जमा करवाने का निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
	(ब) महाविद्यालय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले अतिथि व्याख्यानों के मानदेय के रूप में वर्तमान में रूपये 1500/- (मानदेय एवं यात्रा व्यय) दिया जा रहा है, जिसे अभिवृद्धि कर राशि रूपये 2000/- (1500+500 यात्रा व्यय सहित) प्रदान किए जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	(स) पूर्व में वित्त एवं लेखा समिति द्वारा अंतरंग परीक्षक हेतु राशि रूपये 500 मानदेय निर्धारित किया गया था, परन्तु जिसके प्रारूप का निर्धारण एवं इस सम्बंध में अद्यतत निर्देश प्रदान नहीं करने के कारण इसे लागू नहीं किया गया है।	एजेण्डा में वर्णित बिन्दु के अनुसार देय मानदेय राशि रूपये 500/- में से अन्तपरीक्षक से 10 प्रतिशत कटौति कर एवं बाह्य परीक्षक से 1 प्रतिशत कटौति कर राशि टीचर्स वेलफेयर फण्ड में जमा की जाकर एवं शेष राशि पर नियमानुसार टी.डी.एस. कटौति करते हुए अवशेष राशि का भुगतान किये जाने का निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
	(द) पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जोधपुर में अतिरिक्त संचालित पाठ्यक्रमों के अध्यापन कार्य हेतु नियमित संकाय सदस्यों/शिक्षकों को प्रति कालांश न्यूनतम मानदेय राशि रूपये 500/- का भुगतान किये	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

	जाने हेतु प्रस्ताव।	
	(य) वर्तमान में समस्त विभागों के सामान्य कार्य व्यवस्था हेतु प्राचार्य एवं विभागाध्यक्षों हेतु राशि रूपये 10000/- अग्रिम राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है, जिसे वृद्धि किया जाकर प्राचार्य कार्यालय को राशि रूपये 20000/- एवं विभागाध्यक्ष को राशि रूपये 15000/- अग्रिम स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	प्राचार्य कार्यालय को राशि रूपये 25000/- एवं विभागाध्यक्ष को राशि रूपये 15000/- अग्रिम साथ ही चीफ वार्डन को राशि रूपये 15000/-, अस्पताल अधीक्षक एवं रसायनशाला प्रभारी प्रत्येक को राशि रूपये 25,000/- अग्रिम स्वीकृति कर उक्त अग्रिमों का समायोजन तीन माह के भीतर करवाये जाने का निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
11.	आंगिक आयुर्वेद चिकित्सालय में प्रसूति स्त्री रोग विभाग एवं शल्य तंत्र विभाग में मोड्यूलर ओ.टी. की स्थापना अनुमानित लागत राशि रूपये 30.52 लाख हेतु प्रस्ताव।	आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्रसूति स्त्री रोग विभाग, शल्य तंत्र विभाग एवं यूनानी महाविद्यालय, टोंक में मोड्यूलर ओ.टी. की स्थापना हेतु कुल अनुमानित लागत राशि रूपये 45.78 लाख का अनुमोदन समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
12.	परीक्षा नियन्त्रक से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न परीक्षा, मूल्यांकन, प्रमाणीकरण एवं आवेदन शुल्क के बढ़ोतरी के सम्बंध में विचार-विमर्श। 1. परीक्षा शाखा द्वारा जारी अंकतालिका/प्रमाण पत्रों/उपाधि एवं परीक्षा आवेदन हेतु शुल्क वृद्धि हेतु प्रस्ताव।	बिन्दु अनुसार समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।
	2. परीक्षा शाखा द्वारा परीक्षा आयोजित करने हेतु परीक्षा केन्द्र/केन्द्राधीक्षक/अन्य कार्मिकों के मानदेय शुल्क वृद्धि हेतु प्रस्ताव	समिति के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार दरें भुगतान करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

S.N.	Work/Activities/Duty	Accepted Rates Rs.
A.	Conduct of Examination at various exam Centre	
1.	Centre Suprident	500
2.	Add. Centre Suprident (More than 750 Students)	400
3.	Dy/Ass. Centre Suprident (Less than 750 and more than 300 Students)	300
4.	Invigilators/Supervisors (Two invigilator on 25 students)	250
5.	One reliever for three rooms. (Maximum 3 in a day)	250
6.	Min. Staff/Lab Asst./Sr. Lab. Asst. (upto 50 student 2 Person appoint and Above 50, for every 50 students or part thereof one person appoint extra)	150
7.	Daftri (Per day one person appoint)	100
8.	Class-IV/ Lab Boy/Peon (upto 50 student 2 Person appoint and Above 50, for every 50 students or part thereof one person appoint extra)	100
9.	Electrician/Pump Driver/Sweeper/Chowkidar (Per day one person appoint each post)	60
10.	Centre Charges Rs. 20/ Per student (For Whole exam.)	30
11.	Contigency Charges Rs. 5/- Per Student (For Whole exam.)	10

12.	Non-Collegiate Charges Rs. 8/- Per Student (For Whole exam.)	12
(A)	**Hard duty Allowances to the teaching and Non Teaching staff members of RAU for Exam Material distribution at exam centre**	
13.	Officer/Teacher of University	800
14.	Minister Staff/ Class IV	600
(B)	**Remuneration to the flying squad incharge/member during university regular examination**	
15.	Flying squad Incharge	1000
16.	Flying Squad Member	800
	(C) Remuneration regarding Control Room Duty	
17.	Officer/Teacher	600
18.	Clerical Staff/Peon/Class-IV	300

3. प्रश्न पत्र निर्माण एवं मूल्यांकन/पुर्नमूल्यांकन कार्य शुल्क वृद्वि हेतु प्रस्ताव

समिति के सदस्यों द्वारा निम्नानुसार दरें भुगतान करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

S. No.	Work/Activities/Duty	Accepted Rates Rs.
1.	For Setting each Question Paper full for Diploma Course	800
	For Setting each Question Paper full for UG Course (BAMS/BHMS/BUMS/BNYS/B.Sc. Ayurved Nursing)	1200
	For Setting each Question Paper full for PG Course (MD/MS Ayurved/MD Homoeopathy/Ph.D Ayurved/Ph.D Homoeopathy)	1200
2.	For setting each Question Paper each section for Diploma Course	400
3.	Answer Book Evaluation charges per Ans. Book Diploma courses	20 each (with Min. of Rs. 500)
	Answer Book Evaluation charges per Answer Book Degree Courses	25 each (with Min. of Rs. 600)
	Answer Book Evaluation charges per Ans. Book PG/MD Courses/Ph.D. Ayurveda/Ph.D. Homoeopathy	30 each (with Min. of Rs. 800)
4.	Re-evaluation of Answer Book charges per Answer Book (For Diploma Courses)	40 each (with Min. of Rs. 300)
	Re-evaluation of Answer Book charges per Answer Book (For Diploma Courses)	50 each (with Min. of Rs. 400)
5.	Conduct of Practical/Viva Examination (Per Candidate) For Diploma Course (for external examination only)	15 each (with Min. of Rs. 500)
	Conduct of Practical/Viva Examination (Per Candidate) For Diploma Course (for external examination only)	15 each (with Min. of Rs. 800)
	Conduct of Practical/Viva Examination (Per Candidate) For Diploma Course (for external examination only)	15 each (with Min. of Rs. 1000)
6.	MD Thesis evaluation (both external and internal examination)	1000
7.	Practical Contingency (Each Student)	10 each (With Min. of Rs. 500)
8.	Moderation	3000 (Perday)

13.	बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालयों के सम्बद्धता शुल्क के पुर्ननिरीक्षण हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।	एजेण्डा बिन्दु के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आयुर्वेद बी.एस.सी. नर्सिंग महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क में राशि रूपये 31500/- कटौति किये जाने का निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।
14.	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों/अधिकारियों को स्वीकृत सॉतवां वेतनमान (यू.जी.सी.) पे-स्केल दिनांक 01.01.2017 से 31.03. 2022 तक वेतन एरियर भुगतान का अनुमोदन।	बिन्दु अनुसार समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

15.	राज्य सरकार द्वारा देय Rajasthan Government Health Scheme आर.जी.एच.एस. मेडिक्लेम की सुविधा में विश्वविद्यालय में कार्यरत अल्पवेतन भोगी कार्मिकों की सम्बंधित मद में वेतन कटौति राशि पुर्ननिर्धारण करने हेतु विचार-विमर्श।	बिन्दु अनुसार समिति के सदस्यो द्वारा यह निर्णय लिया गया विश्वविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों का आर.जी.एच.एस. स्कीम में विभाग को देय एक-मुश्त प्रीमियम राशि में से पे-लेवल 1 से 12 तक 25 प्रतिशत एवं पे-लेवल 13 व इससे अधिक वेतनमान वाले कार्मिको से 50 प्रतिशत अंशदान राशि विश्वविद्यालय कोष में लिये जाने की सहमति समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ली गई।
16.	विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय के नवीन वाहन क्रय हेतु विचार-विमर्श।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए राज्य सरकार को विश्वविद्याल निधि से वाहन क्रय के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
17.	विश्वविद्यालय में स्थापित सौलर ऊर्जा संयत्र की क्षमता में बढ़ोतरी पर विचार-विमर्श।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
18.	विश्वविद्यालय परिसर में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की मूर्ति स्थापना के सम्बंध में विचार-विमर्श।	समिति के सदस्यों द्वारा डी.पी.आर. के अनुसार उक्त कार्य करवाये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई।
19.	विश्वविद्यालय परिसर में 2000 वर्ग मीटर में पार्किंग क्षमता निर्माण पर विचार-विमर्श।	समिति के सदस्यों द्वारा कटौति कर बजट प्रावधानों के अनुसार कार्य का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
20.	आय-व्ययक अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 एवं संशोधित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2022-23 पर विचार विमर्श एवं अनुमोदन।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
21.	विश्वविद्यालय में कार्यरत परामर्शी कार्मिकों की सेवाओं का अनुमोदन।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
22.	विश्वविद्यालय में रिक्त पदों के विरूद्ध राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार समेकित पारिश्रमिक/मानदेय पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाओं का अनुमोदन।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
23.	लेखा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को परीक्षा मानदेय एवं यात्रा विपत्रों को जॉच कर भुगतान करने एवं विशेष परिस्थितियों में मानदेय स्वीकृति पर विचार-विमर्श।	समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
24.	विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्रशासनिक भवन, महाविद्यालय भवन को सम्पूर्ण वातानुकूल करने के संबंध में विचार विमर्श ।	सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए कार्ययोजना तैयार कर विश्वविद्यालय निधि से बजट प्रावधानों के अनुसार कार्य करने हेतु निर्देश प्रदान किये।

25.	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। 1. राजकीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर की सत्र 2022-23 की सम्बद्धता शुल्क पर जी.एस.टी. शुल्क व विलम्ब शुल्क के सम्बंध में प्राप्त प्रस्ताव। उक्तानुसार महाविद्यालय से वर्ष 2022-23 हेतु सम्बद्धता शुल्क राशि रूपये 5,35,000/- दिनांक 04.11.2022 को प्राप्त हुये है जिस पर नियमानुसार देय जी.एस.टी. राशि व विलम्ब शुल्क आदिनांक प्राप्त नहीं हुआ है।	विलम्ब शुल्क राशि छूट दिये जाने का सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	2. निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त ठेकाकर्मियों द्वारा प्रस्तूत राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 को एडोप्ट करने बाबत निवेदन किया गया है।	सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	3. **Ph.D.** अध्येताओं/शोधार्थियों को देय स्टाईपैण्ड भुगतान के सम्बंध में।	देय प्रकरण में **Ph.D.** अध्येताओं को देय स्टाईपैण्ड राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने को प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का समिति के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
	4. मिनिबस क्रय हेतु प्राप्त प्रस्ताव	विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बहुउददेशीय कैम्प एवं छात्रों, के आवागमन सुविधा हेतु विश्वविद्यालय निधि मद से 36 सीटर मिनीबस क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया ।
	5. अस्पताल रोगियों के सुविधाजनक आवागमन (मुख्य द्वारा से अस्पताल तक) हेतु ई-व्हीकल (चार पहिया) क्रय किये जाने हेतु प्राप्त प्रस्ताव	विश्वविद्यालय आंगिक महाविद्यालयों के परिसर में स्थित संघटक चिकित्सालयों में ईलाज हेतु आने-जाने वाले रोगियों के लिये मुख्य द्वार से अस्पताल तक सुविधाजनक आवागमन हेतु ई-व्हीकल (चार पहिया) क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

2/3/2023

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव

क्रमांक :- रा.आ.वि./लेखा/जोध/2022-23/ 11649 – 11655 दिनांक :- 08.03.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, डॉ. स.रा. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
2. संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर।
3. प्रमुश शासन सचिव, आयुर्वेद एंव भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एंव भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जोधपुर।
6. निजी सचिव, माननीय कुलसचिव महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
7. प्रो. महेन्द्र कुमार शर्मा, प्राचार्य आंगिक आयुर्वेद महाविद्यालय, जोधपुर।

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव